कितनी सुरक्षित हैं हमारी बेटियां

क्षमा पति

आम धारणा है कि अश्लील फिल्मों और अश्लील साहित्य की वजह से बलात्कार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले भी बलात्कार होता था। समाज के भय और लड़की को बदनामी के दाग से बचाने के लिए ऐसी घटनाएं दबा दी जाती थीं।

समाज और क़ानून में बलात्कार के संबंध में ज़ोर-जबर्दस्ती को महत्व दिया जाता है। लेकिन अक्सर ही हम देखते हैं कि शोषण की शिकार महिला या लड़की अचानक ऐसी स्थिति में फंस जाती है कि वह समझ ही नहीं पाती कि क्या करे। नाबालिग और मासूम लड़कियों के बारे में तो दावे से यह कहा जा सकता है कि वे यह जान ही नहीं पातीं कि उनके साथ क्या घटने जा रहा है। हां, बलात्कार के बाद ज़रूर उन्हें यह महसूस होता है कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ है। मानसिक रूप से वह बहुत परेशान हो जाती हैं।

रक्षक ही भक्षक

बहुत सी घटनाओं में सुनने में आता है कि जिन पुरुषों पर लड़कियों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है वे खुद ही अपनी कुंठाओं की वजह से भक्षक की भूमिका में खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बालिका को बहुत मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अनजान व्यक्ति के लिए गुस्सा दिखाना आसान है।

अधिकतर यौन संबंध दूसरे ही ढंग से स्थापित होता है लेकिन वह भी बलात्कार ही कहा जाएगा। वह बहुत सहज तरीके से लड़की से नज़दीकी बढ़ाता है। सहज क्रीड़ा के लहजे में उसे बहलाता पुचकारता है। अंत में विश्वास दिलाते हुए कि इससे कुछ भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है उसकी देह पर काबू पा लेता है। यह चचेरा या मौसेरा भाई, चाचा, जीजा, जेठ, ससुर, पड़ोसी, घर का नौकर, मास्टर, शराबी पिता एवं अपना सगा भाई भी हो सकता है।

मां-बाप ऐसी घटना छिपा जाते हैं कि लड़की की शादी कैसे होगी। आहत लड़की की संवेदना को समझने के बजाए उन्हें उसकी नादानी और मूर्खता पर गुस्सा आता है। लेकिन हर औरत का अन्तर्मन अपने मां-बाप के रुख से विद्रोह करता है। उसे लड़कीपन से नफ़रत होती है। पुरुष की यौन-कुंठाओं की शिकार औरत पुरुष जाति से ही नफ़रत करने लगती है।

एक नाबालिग लड़की और एक बालिग महिला के बलात्कारी की सज़ा क़ानून में एक ही है। जब कि कई बार मासूम लड़की जीवन भर के लिए ज़ख्मी हो जाती है। वह आत्महत्या तक को प्रेरित हो सकती है। क़ानून में अपना दावा साबित करने की प्रक्रिया महिला के लिए बहुत उत्पीड़क है। अक्सर अदालत में बरसों लग जाते हैं।

हमें लड़कियों और महिलाओं को सचेत बनाना होगा। ऐसी घटनाओं का खुला विरोध ज़रूरी है। लड़कियों को बहुत छोटेपन से यौन शिक्षा देनी होगी। उन्हें खुद अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत बनाना होगा। □